न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 125/2005
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 आर.टी.ए.

संशोधित टाईटल

1. सुशील कुमार पिता नाथुलाल टांक निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. रतनलाल पिता नाथुलाल टांक निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. भंवरी देवी विधवा नाथुलाल टांक निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतकस के बजाए–
   3/1 मोना देवी पुत्री नाथूलाल टांक निवासी कोशीथल हाल पत्नि ज्ञानचंद टांक निवासी खेरवाड़ा तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
   3/2 गीता देवी उर्फ घीसी देवी पुत्री नाथुलाल टांक निवासी कोशीथल हाल पत्नि कन्हैयालाल टांक निवासी वकील कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. जयचन्द पिता बरदा तेली निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. नारू पिता दलीचन्द तेली निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. बालू पिता बरदा तेली निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. कालू पिता उदा तेली निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगणः– श्री संतोष कुमार पारीक
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री पर्वत सिंह चुण्डावत

दिनांक 24/07/2020

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के आराजी नं0 1640 रकबा 0.80 हे0 स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। जिसके प्रमाण के लिये जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 तक प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

यह कि उक्त वर्णित आराजी के हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 के भू प्रबंध के उपरांत नवीन नम्बर कायम किये गये। उक्त आराजी के साबिक नंबर आराजी संख्या 2590/1611/3 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा है। जिसके प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत हैं।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के साबिक आराजी संख्या 2590/1611/3 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि जो निम्न पड़ौसों के मध्य स्थित है:-
पूर्व :- विक्रेता की इसी आराजी की शेष भूमि
पश्चिम:- वादीगण की भूमि
उत्तर:- विक्रकेता की इसी आराजी की भूमि
दक्षिण:- अमरचंद तेली की भूमि
बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के 50,000/- रूपये के प्रतिफल में दिनांक 14. 05.1996 को क्रय की एवं कब्जा प्राप्त किया।

यह कि उपरोक्त आराजियात जो निम्न पड़ौसो के मध्य स्थित हैं क्रय की दिनांक से वादीगण का 3 बीघा भूमि पर लगातार निर्विघ्न कब्जा चला आ रहा है तथा वादीगण ने वेल्यूबल कंशीडेशन अदा कर बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के उक्त आराजियात क्रय की है। वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। एवं बहैशियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त लाभ प्राप्त कर रहे है। जिसमें प्रतिवादीगण की किसी भी प्रकार की कोई दखलन नहीं हैं।

यह कि वाद ग्रस्त आराजियात 1640 रकबा 0.80 हे0 के साबिक आराजी संख्या 2590/1611/3 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि पर वादीगण का क्रय दिनांक 14.05.1996 को ही वादीगण ने प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त कर लिया एवं लगातार कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिस पर प्रतिवादीगण की किसी भी प्रकार से कोई दखलन नहीं हैं एवं वादीगण के खातेदारी अधिकार की हैं लेकिन वाद ग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिससे वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है के हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं।

यह कि हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि जो वादीगण ने बजरिये विक्रय विलेख के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रह जाने से प्रतिवादीगण अन्य को हस्तानान्तरित करने पर आमादा है, जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि उक्तानुसार पड़ौसों के मध्य वर्णित आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, न ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससें वादीगण के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़े, न यह कृत्य स्वयं करें, न अन्य से करावें।

यह कि हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 0.65 हे0 भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन मिट्स एण्ड बाउन्स के आधार पर कराया जावें एवं अलग से खाता दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...वाड़ा (राज.)

वादीगण ने प्रार्थना की है कि ग्राम कोशीथल की हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री जारी फरमायी जावे।

यह कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि उक्तानुसार पड़ौसों के मध्य वर्णित आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, न ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससें वादीगण के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़े, न यह कृत्य स्वयं करें, न अन्य से करावें।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 हे0 है का विभाजन कराया जावें एवं अलग से खाता दर्ज कराया जावें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2005 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार की ओर से प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र की कलम संख्या 1 लगाायत 3 स्वीकार की है व कलम संख्या 4 लगायत 8 अस्वीकार की है, कलम संख्या 9 व 10 को न्यायिक बताया है व कलम संख्या 11 व 12 को अस्वीकार कर वाद पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। पेरोकार सरकार द्वारा भी जवाब पेश कर वाद पत्र की कलम संख्या 1 लगायत 5 को स्वीकार किया गया है तथा कमल संख्या 6,7 व 9 लगायत 12 को न्यायिक बताया है एवं कलम संख्या 8 वादी स्वयं सिद्ध करे। नकल जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल तथा विक्रय पत्र अनुसार स्वीकार है शेष कब्जे के बारे में वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु संख्या 1 से 12 को सही बताकर प्रमाणित किया है।

वादपत्र में निम्नानुसार तनकी कायम की गई:—

1. आया वादग्रस्त आराजियात के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।
   .... जिम्मे वादीगण

2 आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात के लिए विरूद्ध प्रतिवादीगण के निषेधज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
   ..... जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 का विभाजन कराने का अधिकारी है।
   ..... जिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण के द्वारा क्रय की गई भूमि के खसरा नं0 1600 नहीं होकर 1640 के पश्चिमी तरफ वादीगण तीन बीघा भूमि पर काबिज होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही हो सकते भू–प्रबंध की गलती का खामियाजा प्रतिवादीगण के जिम्मे नहीं हो सकता है।
   ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार एवं भूप्रबंध विभाग के विरूद्ध वाद प्रकट नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है।
   ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

6. दादरसी!

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र में तनकियात कायम किये जाने के बाद साक्ष्य वादी प्रारंभ की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में स्वंय अपने बयानं पी.डब्ल्यू – 1, लेखबद्ध करा प्रस्तुत असल विक्रय पत्र प्रदर्श–1, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श – पी 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2, जमाबंदी संवत् 2059–62 प्रदर्श –3 का अवलोकन कराते हुये कथन किया कि प्रदर्श –1 में 1640 नं0 की रजिस्ट्री नहीं है नम्बर चेंज हो जाने से नये नम्बर सेटलमेंट के दौरान नये नम्बर 1640 पड़े है । मेरे द्वारा जमीन खरीदी उसके एक साईड में हमारे खुद की जमीन एक साईड अमरचंद तेली की एवं दो तरफ अन्य खातेदारों की जमीन है। हम वादीगण ने 1640 के पश्चिमी तरफ 3 बीघा भू भाग पर कब्जा कर रखा है बल्कि 1640 पर ही काबिज है। पुरानी आराजी नं0 2590 / 1611 / 3 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा है। हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 0.65 हे0 भूमि वादीगण ने बजरिये विक्रय विलेख के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जो वादीगण के कब्जे काश्त में है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह के दौरान भी उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में बताये गये कथन का समर्थन किया एंव प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की। वादी द्वारा प्रस्तुत बयान पी.डब्ल्यू – 2 ने भी अपने बयानो में हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 0.65 हे0 भूमि वादीगण ने बजरिये विक्रय विलेख के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जो वादीगण के कब्जे काश्त में है। जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी के दौरान भी उक्त गवाह ने वही बाते दौहराई जो उसने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन की। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी रिबेटल रिजर्व रखते हुये बंद किये जाने पर वादपत्र में साक्ष्य प्रतिवादी प्रारंभ की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी को कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से दिनांक 07.02.2020 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रतिवादी के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी रिबेटल रिजर्व बंद की जाकर वादपत्र में बहस सुनाये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष कारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादिया ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत असल विक्रय पत्र प्रदर्श–1, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श – पी 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2, जमाबंदी संवत् 2059–62 प्रदर्श –3 है। वादीगण ने प्रार्थना की है कि ग्राम कोशीथल की हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं तदनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी फरमायी जावे।

यह कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि उक्तानुसार पड़ौसों के मध्य वर्णित आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, न ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससें वादीगण के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़े, न यह कृत्य स्वयं करें, न अन्य से करावें।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 हे0 है का विभाजन कराया जावें एवं अलग से खाता दर्ज कराया जावें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
... भीलवाड़ा (राज.)

जवाब में अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को अपने खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी नं0 2590/1611/3 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा का 3 बीघा भूखण्ड अवश्य विक्रय किया है और कब्जा भी सिपुर्द कर दिया है, आराजी संख्या 2590/1611/3 पूर्व रेकार्ड में तरमीम नहीं थी और इसी दरमियान भू–प्रबंध हो गया , जिसमें इस आराजी के कई नये नम्बर बने है उनमें से कुल किता 12 रकबा 2.95 हे0 रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है और इस प्रकार प्रतिवादीगण के साबिक रकबे में करीब 0.66 हे0 भूमि कमीबेसी कर दी गई है और उनके खाते में केवल 2.95 हे0 भूमि ही दर्ज है इसलिए वादीगण के तीन बीघा रकबे के क्या नये नम्बर पड़े है इसकी वादीगण भू–प्रबंध विभाग से जानकारी कर अपना रकबा अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही कर सकता है प्रतिवादीगण आराजी सं0 1640 में से 0.65 हे0 भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादपत्र वादिया खारीज किया जावें। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये।

हमने बहस अधिवक्तागण पक्षकारान पर मनन किया एंव वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बयान गवाहान का परीक्षण किया गया व पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर – 1 , 2 व 3

तनकी नम्बर – 1, 2 व 3 को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादिया द्वारा असल विक्रय पत्र प्रदर्श–1, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श – पी 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2, जमाबंदी संवत् 2059–62 प्रदर्श –3 प्रस्तुत किये जिससे जाहिर हुआ कि वादीगण का कब्जा है अतः तनकी नं. 1, 2 व 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर – 4 व 5

तनकी नम्बर – 4 व 5 को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कराये गये है जिससे यह साबित होता हो कि उसके द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा नही कर रखा हो। अतः तनकी नं. 4 व 5 विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

चूंकि वादपत्र की समस्त तनकिया वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतएवं

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

:: आदेश::

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 रा.टि.ए. बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम कोशीथल की हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। तहसीलदार सहाड़ा को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 हे0 है का विभाजन कर अलग से खाता दर्ज किया जाकर वादीगण को कब्जा सिपूर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24/12/20 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

6.

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 125/2005

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 आर.टी.ए.

संशोधित टाईटल

1. सुशील कुमार पिता नाथुलाल टांक निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. रतनलाल पिता नाथुलाल टांक निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. भंवरी देवी विधवा नाथुलाल टांक निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतकस के बजाए–

   3/1 मोना देवी पुत्री नाथूलाल टांक निवासी कोशीथल हाल पत्नि ज्ञानचंद टांक निवासी खेरवाड़ा तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)

   3/2 गीता देवी उर्फ घीसी देवी पुत्री नाथुलाल टांक निवासी कोशीथल हाल पत्नि कन्हैयालाल टांक निवासी वकील कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. जयचन्द पिता बरदा तेली निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. नारू पिता दलीचन्द तेली निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. बालू पिता बरदा तेली निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. कालू पिता उदा तेली निवासी कोशीथल त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पारीक एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चुण्डावत की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक ..... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि –––––×––––– और इस वाद के खर्च लेखे –––––×––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर –––––×––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित –––––×––––– द्वारा –––––×––––– को दी जाए।

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 रा.टि.ए. बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम कोशीथल की हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 भूमि में से 3 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। तहसीलदार सहाड़ा को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध हाल आराजी संख्या 1640 रकबा 0.80 हे0 में से 3 बीघा भूमि जो 0.65 हे0 है का विभाजन कर अलग से खाता दर्ज किया जाकर वादीगण को कब्जा सिपूर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपरोक्तानुसार भूमि वादीयागण के नाम राजस्व रेकार्ड मे हिस्से अनुसार दर्ज की जावें खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

24/07/2020

डिक्री आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.07.24 18:06:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: